

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

19

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./आवंटन/13/2015 92/1617-उ.सी./राँची, दिनांक 29.03.2017

प्रेषक:

ई. मुक्ति साधन चौरसिया,  
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड,  
पो.-हिन्डू राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन योजनाओं का Mobile Application के माध्यम से अनुश्रवण के लिए परिशिष्ट-I के अनुसार Development of Mobile Application, Web application एवं Logo Design हेतु रु0 2.999 लाख (रुपये दो लाख न्यानवे हजार नौ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन योजनाओं का Mobile Application के माध्यम से अनुश्रवण के लिए परिशिष्ट-I के अनुसार Development of Mobile Application, Web application एवं Logo Design हेतु रु0 2.999 लाख (रुपये दो लाख न्यानवे हजार नौ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. E-Governance मद से सतही लघु सिंचाई योजनाओं के अनुश्रवण हेतु Mobile Application तैयार किया जाना है। Mobile Application के विभिन्न अवयव परिशिष्ट-I पर संलग्न है।
3. Mobile Application के माध्यम से राज्य की पूर्ण एवं कार्यान्वित की जा रही सतही लघु सिंचाई योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। निर्माणाधीन योजनाओं के निर्माण की प्रगति की जानकारी Mobile Application के माध्यम से प्राप्त होगी।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप योजना - उपशीर्ष - 27 - ई.गवर्नेंस-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2016-17 में E-Governance मद में इस शीर्ष में रु0 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) का प्रावधान है।
6. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची एवं नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची होंगे।
7. स्वीकृत कार्य वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किया जाएगा।
8. स्वीकृत कार्य के आवंटन में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।
9. इस कार्य का समावेश वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध में समेकित रूप से है।
10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
11. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से महालेखाकार झारखण्ड राँची को संसूचित किया जाय।

अनु०:- परिशिष्ट-1

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./आवंटन/13/2015 92/1647 ड.खी. / राँची, दिनांक 29.03.2017  
प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-1

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./आवंटन/13/2015 92/1647 ड.खी. / राँची, दिनांक 29.03.2017  
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-1

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./आवंटन/13/2015 92/1647 ड.खी. / राँची, दिनांक 29.03.2017  
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग की सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-1

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./आवंटन/13/2015 92/1647 ड.खी. / राँची, दिनांक 29.03.2017  
प्रतिलिपि: आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:- परिशिष्ट-1

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./आवंटन/13/2015 92/1647 ड.खी. / राँची, दिनांक 29.03.2017  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-1

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./आवंटन/13/2015 92/1647 ड.खी. / राँची, दिनांक 29.03.2017  
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।


अनु०:- परिशिष्ट-1

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभियंत्रण)

Annexure-I

Sl. No.	Type of Work	Description of Work	Est. Cost	Remarks
1	2	3	4	5
1	A	Mobile application development for solution of Monitoring Minor Irrigation Schemes	149900.00	
2	B	(a) Web application development for solution of Monitoring Minor Irrigation Schemes & (b) Logo Design of Mobile Application	5000.00	
<b>Total</b>			<b>150000.00</b>	
<b>Grand Total</b>			<b>299900.00</b>	

पत्रांक 92/16-17 ड. अ. दिनांक 29.03.2017

  
(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभियंत्रण)